न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

निगरानी सं0 02/2019

रेवडसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहर्राकला ग्राम पंचायत कालीपहाडी तह0 व जिला दौसा राज0

.... निगरानीकार

बनाम

1. रघुवीरसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहर्राकला ग्राम पंचायत कालीपहाडी तह0 दौसा हाल निवासी 3/110, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा
2. ग्राम पंचायत कालीपहाडी द्वारा सरपंच
3. सचिव, ग्राम पंचायत कालीपहाडी तहसील दौसा जिला दौसा

...गैरनिरानीकारान

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत कालीपहाडी दिनांक 9.12.1987 मिसल सं0 86—87 दिनांक 10.8.1986 जिसमें विपक्षी अप्रार्थी नं0.1 व निगरानीकार के संयुक्त नाम प्रश्नगत पट्टा प्रचलित करने का संकल्प पारित को निरस्त करने एवं मात्र निगरानीकार के नाम पट्टा जारी करने बाबत।

अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचा0 राज अधिनियम

उपस्थित: 1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री योगेश कुमार जाकड, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

निर्णय

दिनांक 26.06.2024

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा—97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, कालीपहाडी द्वारा अप्रार्थी सं0 एक व निगरानीकार के पक्ष में पट्टा दिनांक 09.12.1987 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में दलील दी कि निगरानीकार व गैर निगरानीकार सं0 1 को प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जिसकी जानकारी निगरानीकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 1.11.2017 को होने पर जिसकी बाबत निगरानीकार ने ग्राम पंचायत कालीपहाडी व पंचायत समिति दौसा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा को भी आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रार्थी को ग्राम पंचायत से दिनांक 22.1.2019 को उक्त भूमि के पट्टे से संबंधित दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर उक्त निगरानी [illegible] अंदर मियाद पेश की गई है। निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील [illegible] मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 ने दफा 5 [illegible] निगरानीकार ने ग्राम पंचायत कालीपहाडी के आदेश व [illegible] दिनांक 9.12.1987 के विरूद्ध दिनांक 4.2.2019 को लगभग 31 साल बाद निगरानी पेश की [illegible] जो स्पष्टतया मियाद [illegible] है। क्योंकि निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारंभ से ही है क्योंकि अप्रार्थी ने उक्त पटटे के आधार पर एक तकासमा का वाद सिविल न्यायालय दौसा में वर्ष 2015 में प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:59 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

रखा है जिसमें रेवडसिंह सन 2015 में ही उपस्थित हो चुका था। जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी पूर्व से थी। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि प्रार्थी निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 ग्राम खोहरा कलां ग्राम पंचायत काली पहाडी तहसील दौसा के रहने वाले है एवं सगे भाई है। निगरानीकार प्रार्थी भारतीय वायु सेना मे अपने देश की बॉर्डर पर सुरक्षा का दायित्व सन 1980 से निर्वहन कर रहा था। निगरानीकार प्रार्थी ने ग्राम खोहरा कलां मे अपनी स्वयं की अर्जित आय से एक घर गुवाडी भूखण्ड दिनांक 7–9–86 को हरिनारायण, रामजीलाल पुत्र अमरालाल गुर्जर एवं रामकरण, बनवारी पुत्र कवंरपाल गुर्जर निवासी खोहरा कलां से बिल एवज 3151/–रूपये का नगद भुगतान कर उक्त भूखण्ड कय कर स्वामित्व कब्जा प्राप्त किया जिस पर पुख्ता मकान, शौचालय निर्मित कराया एवं बिजली का कनेक्शन व टेलीफोन का कनेक्शन लगवाया एवं पानी का बोरिंग खुदवाकर निर्मित कराकर निरन्तर अपने स्वामित्व कब्जे के उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत कालीपहाडी के कर्मचारियो, सरपंच व ग्राम पंचायत कालीपहाडी के वार्ड पंचों से षडयंत्रपूर्वक अप्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 1 रघुवीरसिंह ने निगरानीकार के क्रयशुदा कब्जे घर गुवाडी का शामलाती पट्टा निगरानीकार प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा प्राप्ती हेतु वर्णित भूखण्ड की सीमाओ को उल्लेखित दर्शित कर पट्टा जारी किया गया जो पूर्णतः बनावटी तथ्यो पर व कूटरचित तथ्यो पर आधारित है। प्रार्थी निगरानीकार को जब ज्ञात हुआ तो प्रार्थी निगरानीकार ने सूचना के अधिकार के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 1–11–2017 को ग्राम पंचायत काली पहाडी व पंचायत समिति दौसा व सक्षम विकास अधिकारी एवं जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा को आपत्ति अपील प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने पर प्रार्थी निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से दिनांक 22–1–2019 को उक्त भूमि के पट्टे संबंधी दस्तावेजात की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर विधि अनुसार न्यायालय श्रीमान के समक्ष निगरानी मय दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश की है। निगरानीकार ने दिनांक 7–9–86 को जब उक्त गुवाडी भूखण्ड जिसमे मकान व शौचालय का निर्माण कराया था उस वक्त अप्रार्थी संख्या 1 गैर निगरानीकार नाबालिग था इसलिए उसका उक्त वर्णित क्रयशुदा भूखण्ड मे हित व हिस्सा होने का कोई प्रश्न नही होता है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत काली पहाडी के कर्मचारी, सरपंच, सचिव व मेम्बरान इस कूटरचित अवैध पट्टा जारी किया जाना स्वतः ही स्पष्ट प्रकट होता है। दिनांक 9–12–87 को ग्राम पंचायत काली पहाडी के द्वारा जो विधि विरूद्ध अवैध पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पारित कर जो आदेश दिनांक 9–12–87 का गैर विधिक प्रक्रिया नियम तथा एवं न्याय के सिद्धान्त के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किया गया जो निरस्तनीय है। क्योकि उक्त जारी किये गये वर्णित पट्टे के भूखण्ड प्रार्थी निगरानीकार की क्रयशुदा वर्णित भूमि है जिस पर प्रार्थी निगरानीकार का स्वामित्व कब्जा निरन्तर चला आता हैं। इसलिए उक्त पट्टे से गैर निगरानीकार संख्या 1 का नाम हजफ किया जावे एवं पट्टा विधिक तौर पर पात्र निगरानीकार प्रार्थी के नाम से दुरूस्त किया जाये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उससे गैर निगरानीकार संख्या 1 रघुवीरसिंह का किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:59 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

कोई लेशमात्र भी संबंध वास्ता नही है उस पर प्रार्थी निगरानीकार का स्वामित्व एवं आधिपत्य है। उक्त भूखण्ड पर जारी पट्टा प्रार्थी निगरानीकार की क्रयशुदा भूमि है जिसका पट्टा प्राप्ति का अधिकार मात्र निगरानीकार का है। उक्त पट्टे से गैर निगरानीकार संख्या 1 रघुवीरसिंह का नाम हजफ कर उक्त पट्टे पर केवल मात्र निगरानीकार प्रार्थी रेवडसिंह का नाम दुरूस्त कर जारी किये जाने का आदेश प्रदान करे जो कि वह न्यायोचित व विधि के अनुकूल है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष विपक्षी संख्या 1 गैर निगरानीकार संख्या 1 का नाम उक्त पट्टे मे जिस तरह समायोजित कर ज़ोडा गया है वह कूटरचित षडयंत्र का हिस्सा है। क्योकि पट्टा जारी करते समय गैर निगरानीकार संख्या 1. एक ओर नाबालिग बच्चा था जिसका उक्त भूमि वर्णित निगरानीकार की कयशुदा भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही था। किन्तु गैर निगरानीकार संख्या 1 रघुवीरसिंह ने ग्राम पंचायत काली पहाडी के कर्मचारी, सचिव, सरपंच एवं मेम्बर से मिलीभगत कर जो पट्टा विचाराधीन ग्राम पंचायत काली पहाडी ने प्रार्थी निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी करवाया गया है जिसे दुरूस्त फरमाकर केवल मात्र प्रार्थी निगरानीकार केता भूखण्ड काबिज स्वामी के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान करे जो कि न्यायोचित आदेश है। प्रार्थी निगरानीकार रेवडसिंह पात्र है। रघुवीरसिंह ने उक्त वर्णित पट्टा विचाराधीन मे किस प्रकार व किस आधार पर उसका नाम ग्राम पंचायत कालीपहाडी के सचिव व सरपंच ने जोडकर पट्टा जारी किया है उसका कोई भी आधार पर पत्रावली मे नही है जिससे भी यह स्पष्ट प्रकट है कि उक्त पट्टे मे गैर निगरानीकार रघुवीरसिंह ने अपना नाम षडयंत्र व कूटरचित कर जुडवाया है इसलिए उक्त तथ्य से गैर निगरानीकार संख्या 1 का नाम हजफ कर पट्टा प्रार्थी निगरानीकार रेवडसिंह के नाम दुरूस्तनीय है जिसका निगरानीकार पात्र है। य शपथ पत्र संलग्न कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है जो विधि के अनुरूप है। श्रीमान को पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत काली पहाडी द्वारा प्रचलित पट्टा दिनांक 09–12–87 को निरस्त किया जाकर पट्टे से गैर निगरानी संख्या 1 रघुवीरसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी खोहरा कला हाल निवासी दौसा का नाम हजफ फरमाकर पट्टे को दुरूस्त किये जाने का आदेश ग्राम पंचायत कालीपहाडी को आदेश प्रदान करें।

6. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में दलील दी कि ग्राम पंचायत काली पहाडी के आदेश व पट्टा दिनांक 9.12.1987 के विरूद्ध दिनांक 4.2.2019 को निगरानी पेश की है जो कि 31 वर्ष बाद पेश की गई है। जबकि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे व ग्राम पंचायत के आदेश की जानकारी शुरू से ही है। इसके अलावा रघुवीरसिंह द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दौसा में एक वाद रघुवीरसिंह बनाम रेवडसिंह तकास्मा का वाद 14.9.2015 को प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा रेवडसिंह उक्त वाद में दिनांक 22.12.2015 को उपस्थित हो चुका है तथा उसको उक्त पट्टे की पूर्णरूपेण जानकारी उसी दिन हो गई थी। इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता ने यह निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत की है जो प्रारंभिक स्टेज पर ही खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत के आदेश व पट्टे के विरूद्ध सीधी निग[illegible] कानूनन व पंचायत नियम के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत के निर्णय [illegible] के विरूद्ध अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति के यहॉ ही क[illegible] द्वारा प्रस्तुत निगरानी कानून व नियम विरूद्ध होने [illegible] निगरानीकर्ता ने पट्टे व आदेश की जानकारी दिनांक 22.01.2019 को होना बताया [illegible] उसके बाद 4.2.2019 को निगरानी पेश की है जिससे भी स्पष्ट झपेण मियाद बाहर निगरानी पेश की गई है क्योंकि जानकारी होने के पश्चात प्रत्येक दिन की डिले का अपने प्रा.पत्र में कारण अंकित किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:59 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

9\. इस प्रकरण में प्रार्थी की मुख्य बिन्दु यह है कि उसके द्वारा उक्त विवादित भूखंड को दिनांक 7.9.1986 को हरिनारायण, रामजीलाल पुत्र अमरालाल गुर्जर एवं रामकरण, बनवारी पुत्र कंवरपाल गुर्जर निवासी खोहरा कला से दिनांक 3151 रू0 का नकद भुगतान कर कय कर स्वामित्व कब्जा प्राप्त किया गया। इस संबंध में पत्रावली में जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा के यहाँ प्रस्तुत दस्तजावेज की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें निम्नांकित लिखा पढी होना अंकित है:–" हरनारायण ,रामजीलाल पुत्र अमरा–रामकरण , बनवारीलाल पुत्र कंवरपाल गुर्जर निवासी खोहरा कलां ने जो कि गांव में गुवाडी की जमीन रामकेश बिलाा के हमारे शामिल गुवाडी की जिसमें से आधी गुवाडी रामकेश बिला ने मोरजी को बेच दी अब आधी गुवाडी डूंगर की है। हमारे चारों भाईयों की जो शामिल की है। 3151 रूपया लेकर .... के वास्ते सवाई सिंह पुत्र रेवडसिंह को बेच दी है। कोई भी कानूनी गैर कानूनी ....करे तो इसके हम जुमेवार है।" यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह दस्तावेज ना तो पंजीकृत दस्तावेज है एव ना ही पत्रावली पर हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि रेवडसिंह ने इस दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत में पटटा बनाने हेतु आवेदन किया था।

10\. अप्रार्थी सं01 द्वारा अपने पक्ष में निम्न बिन्दु वर्णित किये है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में ग्राम पचायत द्वारा विधिवत रूप से 9.12.1987 को जारी किया गया जिसके संबंध में दिनांक 15.9.1986 को आपत्तियां आमंत्रित की गई एवं दिनांक 12.9.1986 को मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अतः विधिवत रूप से पटटा जारी किया गया है।

11\. इन तथ्यों को संलग्न दस्तावेज से बल मिलता है जिसमें दिनांक 10.8.1986 को प्रार्थी रेवडसिंह एवं रघुवीरसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटटे हेतु आवेदन किया गया है। इसके पश्चात 15.9.1986 को सरपंच के हस्ताक्षर से तत्समय ग्राम पंचायत कालोता द्वारा उक्त भूमि में रेवडसिंह एवं रघुवीरसिंह पुत्र सवाईसिंह द्वारा भूमि को खरीदने पर पंचायत में आवेदन करने पर आपत्तियां आमंत्रित की गई एवं दिनांक 12.9.1986 को ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट जिसमें निम्न अंकित किया गया है:–

" आज दिनांक 12.9.1986 को रेवडसिंह, रघुवीरसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत खोहराकलां की भूमि नजराने आवंटन चाही जमीन का मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थियान उत्तर दक्षिण 60फुट पूर्व पश्चिम 54 फुट पुख्ता म[illegible]ण करना चाहते है। मौके पर जमीन पाई गई जो सही पाई गई। [illegible] संलग्न नक्शे में सीमा भी सही है। इस नाम में मकान [illegible] नहीं होता है। अतः पटटा जारी करने की सिफारिश की जाती है।"

इसके बाद दिनांक 9.12.1987 को 10.8.1986 के आवेदन, 10.9.1986 को तैयार किये गये आवेदित भूमि के नक्शे, 12.9.1986 को किये गये निरीक्षण एवं 15.9.1986 को आमंत्रित की गई आपत्ति के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त न होने के उपरांत पटटा जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:59 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

8. चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए पटटा जारी किया गया है एवं निगरानीकर्ता के द्वारा इसके विपरीत कोई भी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

हम निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 जून, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:59 IST
Reason: SelfAttested